of the C.P.W.D. and Rs. 69,000/- by the Electrical Division in construction of one tube-well and not two (both) tubewells. This tube-well was not functioning previously but now it is functioning although yield is poor. There is no other tube-well.

(c) Government propose to consider provision of additional tube-well for the Aram Bagh Colony.

Rtfund of Gratuity to retired employees of C.P.W.D.

4305 DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Director General (Works) C.P.W.D. and Executive Engineer (Electrical) have received any applications during the last six months from the retired employees of C.P.W.D. Electrical Division III I.P. Estate, New Delhi, for the refund of withheld amount of gratuity;

(b) what action has been taken by the Department on these applications;

(c) whether it is a fact that in some cases the amount of withheld gratuity exceeds the prescribed ceiling of Rs. 1000; and

(d) if so, the details thereof and the action taken against the erring officials of the Department for harassing the retired employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) Requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

देवली गांव, दिल्ली की अधिसूचित भूमि

4306. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के भूमि और भवन विभाग द्वारा जारी दिनांक 6 जून, 1985 की अधिसूचना सं०एफ०(23)/85-एल०ए०बी० के अनुसार, जैसाकि दिनांक 25 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ था, देवली गांव की अधिसूचित भूमि का कुल क्षेत्र 11656.1 बीघा है ; और

(ख) यदि हां, तो देवली ग्राम सभा मिली की कुल कितनी भूमि है और खसरा संख्या सहित उसके क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अवार्ड संख्या 19/87–88 के अनुसार देवली गांव की कुल अधिग्रहीत की गई भूमि 11656–09 बीघा है ।

(ख) उपर्यक्त अवार्ड के अनुसार देवली ग्राम सभा की अधिग्रहीत की गई कुल भूमि 6106-16 बीघा है। खसरा नं० सहित क्षेत्र का ब्यौरा सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

तुगलकाबाद गांव का शहरीकरण

4307. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली तहसील, दिल्ली मे तुगलकाबाद गांव का शहरीकरण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) तुगलकाबाद गांव के शहरीकरण के पश्चात् कौन सा विभाग ग्राम सभा की भूमि की देखरेख कर रहा है ; और

(घ) ग्राम सभा की भूमि का उसके क्षेत्रफल सहित, ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) और (ख) मई 1966 और जून 1966 में दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसार तहसील महरौली में गांव तुगलकाबाद का शहरीकरण किया गया ।

(ग) और (घ) अगस्त 1974 में की गई अधिसूचना के अनुसार भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई। ग्राम सभा के कुल 1226 एकड़ क्षेत्र (लगभग) में से 951 एकड़ दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागबानी विभाग के पास है और 275 एकड़ भारतीय खेल प्राधिकरण के खाजे/निगरानी में है इसलिए ग्राम सभा की कुल भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय खेल प्राधिकरण के पास है।

' Unauthorised factories in Laxmi Nagar, Delhi

4308. SHRI GURUDAS DAS GUPTA; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Engineering Small workshops/factories have come up in different block of Laxmi Nagar, Delhi-92;

(b) whether any survey has been made or is likely to be made of such unauthorised small factories, block-wise;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether these workshops are working on domestic meters and using load more than sanctioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

' संगम बिहार, दिल्ली में निर्माण कार्य

4309. **श्री गुरुदास दासगुप्त :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगम बिहार, दिल्ली में मुख्य सड़कें, खड़ंजे, नालियां बनाने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक प्रारंभ कर दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी नहीं । दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि संगम बिहार अनधिकृत कालोनी है । नीति के अनुसार, अनधिकृत कालोनियों का कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। तथापि, 1-1-81 को जो अनधिकृत कालोनियां विद्यमान थी उनके भागों में ईंट के खड़ंजे तथा भूमि के भराव जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि कार्य प्रारम्भ करने से पहले लाभग्राहियों द्वारा सुधार शुल्क का भुगतान किया जाए ।

Unauthorised construction in Nanakpura, Delhi

4310. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to(Unstarred Question 3472 given in the Rajya Sabha on 20th December, 1991 and state:

(a) whether the unauthorised construction of the shops were removed;

(b) if so, the date and the details of the constructions removed;

(c) whether Government are aware that some shops were reconstructed in the same places after hour, of their removal; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) As reported by Delhi Development Authority a car repair workshop and one scooter repair workshop and one building materia) store occupying government land in a portion of park near Gurudwara,